प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 दिसम्बर,2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसरन सिंह पुत्र श्री किशुन सिंह, निवासी जनपद-मऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामसरन सिंह पुत्र श्री किशुन सिंह, ग्राम-कन्सो, थाना-हलधरपुर, जनपद-मऊ का निवासी है। जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.1994 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बन्दूक व कट्टा से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-09/1995, भा0द0वि0 की धारा- 302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मऊ द्वारा दिनांक 22.05.2003 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 20.06.2023 तक अपरिहार 08 वर्ष, 10 माह, 04 दिन तथा सपरिहार 10 वर्ष, 00 माह, 13 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, मऊ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी व विपक्षी का घर आमने-सामने होने के कारण पुनः अपराध करने की पूर्ण संभावना, पुनः अपराध घटित होने से इंकार नहीं होने कारण जेल में निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा पुलिस अधीक्षक की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी रामसरन सिंह (बन्दी संख्या-24/2021) पुत्र श्री किशुन सिंह, निवासी जनपद-मऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1460/2025/1858(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।